

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
संख्या- 97 /V-2/21-60(आ०)/2015
देहरादून दिनांक 15 जनवरी, 2021

अधिसूचना

आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1942/V-2/2017-60(आ०)/2015 दिनांक 22.11.2017 को अवक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी का निम्नानुसार पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क	अध्यक्ष	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
ख	उपाध्यक्ष	शासन द्वारा नामित अधिकारी
ग	सचिव, आवास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ	सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ	मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति अथवा नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य (पदेन)
ज	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ञ	तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित	सदस्य

(शैलेश बगौली)
सचिव,

संख्या- 97 /V-2/21-60(आ०)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराये जाने के आशय से प्रेषित।

आज्ञा से,


(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव

2598
15.01.21

संख्या- १७ /V-2/21-60 (आ०) /2015 तददिनांक।

- 1- निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, नियोजन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 8- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

2598
15.01.21

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव